संख्या-5-307/38-6-16-03(एवीआरवाई)/2014

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-22 मार्च ,2016**

विषयः- अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान सं0-13(सामान्य मद) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान सं0-13 सामान्य मद में रू0-6.00 करोड की बजट व्यवस्था है। बजट व्यवस्था के सापेक्ष शासनादेश सं0-16/15/603/38-6-15-3(एवीआरवाई)/2014, दि0-25.05.2015 द्वारा रू0-3.00 करोड की धनराशि स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखी गयी थी। योजनान्तर्गत आयुक्त, ग्राम्य विकास के प्रस्ताव पत्र सं0-1044/कार्य0/ अ0वि0रो0यो0/2015-16, दि0-20.08.2015 के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट परीक्षण समिति की बैठक दि0-11.12.2015 के उपरान्त उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के निर्णय दि0-11.03.2016 में लिए गए सम्यक निर्णय के अनुरूप अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान सं0-13(सामान्य मद) में प्राविधानित धनराशि रू0-6.00 करोड में से उक्त पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0-3.00 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अवशेष धनराशि रू0-3.00 करोड की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कृपया निम्न शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/15/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30.03.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2)- यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्रामय विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(3)- परियोजनान्तर्गत उक्त स्वीकृत कुल रू0-6.00 करोड(रूपये छः करोड) की राजकीय सहायता योजना अंश के रूप में उपयोगित होगी। अतएव प्रति रोजगार इकाई(प्रति लाभार्थी) को रू0-7500/- की आर्थिक सहायता एवीआरवाई अंश के रूप में अनुमन्य होगी। इस प्रकार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित/स्वीकृत कुल धनराशि रू0-6.00 करोड के माध्यम से 8000 रोजगार इकाईयाँ स्थापित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- योजनान्तर्गत इनोवेटिव रोजगार इकाईयों की स्थापना पर प्रमुखता दी जाए जिससे लाभार्थी और अच्छी आय सृजित कर सके और स्थापित रोजगार इकाई से अन्य सहायक आर्थिक कार्य-कलापों में रोजगार अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

(5)- परियोजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत जैसा कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है के अनुसार औसत रूप में रू0-80 हजार न्यूनतम होगी। बैंकों से ऋण उपलब्धता एवं रोजगार इकाई की लाभदेयता की दृष्टि से नाबार्ड/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीएसवाई)/मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना(एमएमजीआरवाई) के अंतर्गत उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निर्धारित इकाई लागत के दृष्टिगत उपयुक्त रोजगार इकाई लागत के आधार पर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

(6)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एवीआरवाई की गाईड लाइन में निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वरोजगार इकाईयों की स्थापना जिला स्तरीय परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन तथा राज्य स्तरीय/उच्च स्तरीय टास्कफोर्स की सहमति के अनुरूप निर्धारित प्राविधानों-इकाई लागत, लाभार्थी पात्रता तथा बैंक ऋण व लाभार्थी अंशदान आदि की सुनिश्चितता की जायेगी।

(7)- जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रोजगार सृजन हेतु माहवार लक्ष्यों के फांट तैयार कर बैंक से वित्त पोषण सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में जनपदवार लक्ष्य व क्रेडिट प्लान के विवरण निदेशक, संस्थागत वित्त को भी उपलब्ध कराते हुए समन्वित प्रयास किये जाए।

(8)- परियोजनान्तर्गत उत्पादित उत्पाद के विपणन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे लाभार्थी अपने उत्पादित सामग्री का एक निश्चित स्थान एवं विपणन संस्था को विक्रय कर अच्छी कीमत प्राप्त कर सकें।

(9)- लाभार्थियों का चयन तकनीकी प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन, बैंक से ऋण की उपलब्धता एवं उत्पादित माल की उचित कीमत लाभार्थियों को भुगतान तथा उपयुक्त आय सृजन आदि की सुनिश्चितता हेतु मुख्यालय से लेकर फील्ड तक सभी स्तरों पर नियमित अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन तथा अनुसरण कर परियोजना को सफल बनाया जाये। अनुमोदित परियोजना प्राविधान के अनुसार विस्तृत दिशा-निर्देश दिये जायें।

(10)-योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे स्वरोजगारियों की सूची ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन प्रदर्शित की जाये।

(11)- जिला स्तर पर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति में साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाये तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा पाक्षिक समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराई जाये। प्रगति आख्या/ सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)- धनराशि का उपयोग अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना की गाइड लाइन्स के अनुक्रम में अनुमोदित परियोजना के अनुमन्य मदों में किया जाये। स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाए जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका का बजट मैनुअल के

http://shasanadesh.up.nic.in

अंतर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति व स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति व स्वीकृति के प्राप्त करने के बाद ही किया जाये। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाये। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायें।

(13)- परियोजनान्तर्गत स्वरोजगार सृजन के लक्षित उपलब्धि हेतु स्वीकृत धनराशि जनपदों को फांट तैयार कर कार्य योजना सहित उपलब्ध कराई जाये और जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति लक्ष्यानुसार सुनिश्चित की जाये।

(14)- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का इसी वर्ष उपयोग कर लिया जाएगा और फिर भी यदि कोई धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में शेष रहती है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समर्पित अथवा राजकोष में जमा की जाये। धनराशि को बैंक खाते में कदापि न रखा जाये। पी0एल0ए0 में भी धनराशि रखने की अनुमन्यता न होगी।

(15)- स्वरोजगार हेतु बायबल इकाईयाँ ही स्थापित की जायें एवं उनकी लाभप्रदत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकजेज की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये।

(16)- ग्राम्य विकास विभाग में आयुक्त/निदेशालय स्तर पर संबधित प्रभारी अधिकारी द्वारा सतत रूप से जनपदवार अनुश्रवण कर योजना लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित किया जाए और राज्य स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रोजगार सृजन योजना को सफल बनाया जाए।

(17)- उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के निर्देश तथा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यथा अपेक्षित जनपदों से समन्वय कर सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर मुख्य वित्त लेखाधिकारी, अपर आयुक्त(लेखा) तथा एवीआरवाई के परियोजना अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक अनुदान सं0-13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-08-अम्बेडकर रोजगार योजना-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/15/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30.03.2015 के अनुपालन में जारी किए जा रहे है।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

<u>संख्या-5-307(1)/38-6-2016 तददिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, नवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3

9- राज्य योजना आयोग-1/2

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in